कार्रवाई: रिश्तेदारों ने चोरी के पैसे से खरीदे थे दो वाहन, जब्त

पूर्व में पकड़े गए साथी ने कबूले अपने गिरोह के सदस्यों के नाम

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

धार जिले में रहने वाले रिश्तेदार इंदौर में इकट्ठे होकर दिन में सूने मकानों की रैकी करते थे। रात में अलग-अलग गिरोह बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी के पैसे से दो वाहन खरीद लिए, ताकि वारदात के बाद फरार होने में मदद मिल सके। गिरोह का साथी कुछ दिन पहले कनाड़िया पुलिस की गिरफ्त में आया था। उसने पूछताछ में गिरोह के सदस्यों के नाम कबूले। बदमाश अधिकांश वारदात आउटर कॉलोनियों में करते थे, ताकि जल्द शहर से बाहर हो सकें। पकड़े गए आरोपियों पर पूर्व में भी कई अपराध पंजीबद्ध हैं।

घटना एक

29 नवंबर, 2024 को फरियादी अभिषेक पिता कमलाकर हारदे निवासी एसपी विला बायपास रोड ने बताया कि 26 नवंबर को वो पत्नी, बच्चे के साथ अपने काका ससुर के लड़के की शादी में सुबह 10 बजे गया था। शादी समारोह वैभवश्री मैरिज गार्डन एमआर-10 पर था। कार्यक्रम से 29 नवंबर को 8 बजे लौटे थे। घर लौटे तो मेनगेट का ताला टूटा मिला। चोर यहां से सोने की इयर रिंग, चांदी की कटोरी, चांदी के सिक्के, नकदी रुपए और एक्टिवा (एमएच-05 एडब्ल्यू-6751) चुरा ले गए थे।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी, जिनसे वाहन जब्त किए गए।

गश्ती दल को चेकिंग पर लगाया

चोरी की दो घटनाओं के बाद बदमाशों को पकड़ने गश्ती दल को चेकिंग में लगाया। दल ने घटनास्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर 17 जनवरी को आरोपी जीतू उर्फ छीतूसिंह बघेल निवासी नंदबाग कॉलोनी को पकड़ा था। पूछताछ में उसने बताया था कि वारदात में भाई राकेश सिंह, रिश्तेदार अजय मेहड़ा निवासी भौरियापुरा बागली, राकेश उर्फ छोटू मेहड़ा निवासी पुंजापुरा बागली तथा हरीश बिडारे निवासी रामानंद नगर शामिल हैं। चारों ने कनाड़िया थाना क्षेत्र के एसपी विला, श्रीजी वैली बिचौली मर्दाना, तिलकनगर, विजय नगर और खुड़ैल थाना क्षेत्र में नकबजनी करना कबूला।

घटना दो

16 जनवरी, 2025 को फरियादी डॉ. यामिनी पिता ओंकार पटेल निवासी संपत हिल्स बिचौली मर्दाना ने बताया कि वह 12 जनवरी रात 8 बजे ड्यूटी पर चली गई थी। दूसरे दिन सुबह 7.30 बजे पड़ोसी नित्यानंद ने फ्लैट का ताला टूटा होने की जानकारी दी। इसके बाद मैं घर गई तो देखा कि मुख्य गेट का ताला दरवाजे की कुंडी में अटका था। चोर सोने के कान के टाप्स, चांदी की पायल, चांदी के 5 सिक्के, नकदी चुरा ले गए थे। उसी मल्टी में फ्लैट नं. 101 में रहने वाली चित्रा केलकर के यहां भी चोरी हुई थी, जबकि मल्टी के ही तीन-चार फ्लैटों के केवल ताले टूटे हुए थे। वहां से कोई सामान चोरी नहीं गया।

वारदात का तरीका

सभी आरोपी बहन के यहां स्कीम नंबर 140 में मिलने के बहाने जमा होते थे, वहीं से चोरी की घटना को अंजाम देने बायपास से लगे क्षेत्रों में निकलते थे। घटना के बाद पुलिस से बचने खेत और कच्चे रास्ते से निकल जाते थे। घटना के पूर्व वाहन सुनसान क्षेत्रों में खड़ा कर देते थे। आरोपियों से सोने का टॉप्स, सोने के कांटे, सोने का पेंडल, चांदी की कटोरी, पायल, चांदी की दो मूर्तियां, 15 सिक्के, 20 हजार रुपए जब्त किए हैं।

कालरा विवाद: दो आरोपी और पकड़ाए

इंदौर। पार्षद कमलेश कालरा के बेटे से अभद्र व्यवहार और घर में घुसकर मारपीट करने वाले दो और आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। जूनी इंदौर पुलिस ने बताया कि पार्षद जीतू यादव (जाटव) के समर्थक धीरज पिता खेमचंद हेड़ाऊ निवासी तीन पुलिया और देवेन्द्र पिता लक्ष्मीशंकर सरोज निवासी परदेशीपुरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी 4 जनवरी को घटना के बाद से फरार चल रहे हैं। मामले में अब तक 18 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

बाइक सवार को डंपर ने 15 फीट तक घसीटा, हालत गंभीर, चालक फरार

इंदौर। विजयनगर चौराहे पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक सवार को न सिर्फ टक्कर मारी, बल्कि उसे 15 फीट तक घसीटकर ले गया, जिससे बाइक सवार को गंभीर चोट आई है। इस दौरान राहगीरों ने डंपर को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार... हादसा रेडिसन चौराहे पर हुआ। बाइक (एमपी-09 एक्सएच-2256) चालक सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार डंपर (आरजी -09 जीई-7176) ने सामने से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है।

वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर युवती से हड़प लिए पौने पांच लाख रुपए

6 दिन तक देते रहे अलग-अलग तरह का प्रलोभन, दिए गए थे 75 टॉस्क

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर ठग ने युवती से पौने पांच लाख रुपए हड़प लिए। पीड़िता को 6 दिन तक ठग अलग-अलग प्रकार से प्रलोभन देते रहे। जब पीड़िता को पैसे वापस नहीं मिले तो धोखाधड़ी का पता चला। जोन क्रमांक एक के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक शर्मा ने बताया कि धोखाधड़ी की शिकार महिला ने सदर बाजार थाने के साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत कराई है। इसमें पीड़िता ने कहा कि मैं एमएससी पास होकर हाउस वाइफ हूं। 30 दिसम्बर को मेरे पास अज्ञात मोबाइल नंबर से मैसेज आया था, जिसमें आरोपी ने अपने आपको रेंट. कॉम कंपनी की एचआर नाम गायत्री बताया था। उसने रोजाना 1800 से 4000 रुपए कमाने का लालच देकर वर्कफ्रॉम होम ऑफर किया था। मेरे द्वारा इसकी स्वीकृति देने पर गायत्री ने मुझे अपनी असिस्टेंट दीपशिखा पटेल का नंबर दिया।

ऑनलाइन प्रॉपर्टी का एड करती है : दीपशिखा ने बताया कि हमारी कंपनी ऑनलाइन प्रॉपर्टी का एड करती है। आपको घर बैठे हमारी वेबसाइट पर एड को सबमिट करने का काम करना है, जिसमें सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। फरियादी के वॉट्सअप पर दीपशिखा ने लिंक भेजी, जिसे फरियादी ने खोला तो उसमें एड शो हो रहे थे। एड में मकानों की जानकारी और फोटो होती थी। सबमिट करने पर फरियादी को पैसे देने का कहा गया था। वेबसाइट पर दस हजार रुपए शो हो रहे थे, जो ट्रेनिंग के लिए कंपनी द्वारा जमा किए गए। बाद में फरियादी से कहा कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद यह रुपए मिल जाएंगे।

14000 रुपए वापस किए: काम करने के बाद फरियादी के खाते में उसी दिन 14000 रुपए वापस कर दिए गए थे। 4 जनवरी को फरियादी ने 10 हजार पेमेंट किया, जो वेबसाइट पर दिखने लगे, लेकिन इस बार आरोपी ने कूपन निकाला, जिस कारण फरियादी के खाते को 24240 रुपए माइनस में कर दिया। फरियादी ने माइनस होने का कारण पूछा तो ठग युवती ने कहा कि यह एक ऑफर है। यदि आप 242421 रुपए पेमेंट करोगी तो आपको 40 हजार रुपए मिल जाएंगे। 4 जनवरी को फरियादी ने 24241 रुपए का पेमेंट किया। फरियादी के खाते में 45000 रु. वापस किए। आरोपियों ने 75 टॉस्क दिए थे।

पैसे अपलोड करना होंगे

इसके बाद आपको पैसे अपलोड करना होंगे। दीपशिखा ने एक ओर वॉट्सअप नंबर दिया, जिसमें कहा कि यह कंपनी का मर्चेंट हेल्पलाइन नंबर है। आपका जितना भी पैसा क्रेडिट-डेबिट होगा, वह इसी नंबर से किया जाएगा। यह एक तरह का हेल्पलाइन नंबर होगा। ट्रेनिंग के दौरान फरियादी को 30 दिसंबर को 840 रुपए खाते में क्रेडिट कर दिए... फिर फरियादी से कहा कि आपको कंपनी के खाते में मिनिमन 10 हजार रुपए रखने होंगे तो ही आप काम कर पाओगे। फरियादी को मर्चेंट हेल्पाइन से यूपीआई आईडी दी गई। इस पर फरियादी ने 3 जनवरी को 10 हजार रुपए अपलोड किए, जो वेबसाइट पर शो होने लगे।

आधी कीमत में नकली नोट लेकर बाजार में खपाए, पुलिस ने दबोचा

तौलकांटे के पास खड़े युवक से जब्त किए रुपए, दर्ज किया केस

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

जोधपुर के युवक से 500 रुपए के नकली नोट लेकर इंदौरी युवक उसे बाजार में खपा देता था। युवक यह रुपए आधी कीमत में लेता था। नकली नोट चलाने वह थाने के पास तौलकांटे के पास खड़ा था, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक से 46 नोट जब्त किए हैं। नकली नोट उपलब्ध कराने वाले युवक की तलाश जारी है।

सहायक पुलिस आयुक्त आदित्य पटले ने बताया कि कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि लसूड़िया क्षेत्र में गिरोह सक्रिय है, जो 500 रुपए के नकली नोट मार्केट में चला रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने गिरोह को पकड़ने टीम गठित की थी। टीम ने देवास नाका स्थित इल्वा तौलकांटे के पास से शुभम पिता मदन रजक निवासी स्कीम नंबर 136 को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उक्त नोट उसने जोधपुर निवासी महिपाल उर्फ मोहित बेड़ा से लिए थे। वह बाजार में कई नकली नोट चला चुका है। पुलिस की टीम आरोपी महिपाल को पकड़ने जोधपुर रवाना हुई है। महिपाल के पकड़ाने पर पता चल सकेगा कि गिरोह में कितने लोग हैं और वे कितने दिनों से यह गोरखधंधा कर रहे हैं। आरोपी ने बताया कि वह प्राइवेट जॉब करता है। उसने कुछ महीने पहले एक लाख रुपए महिपाल से लिए थे, जिसमें से अब तक 77 हजार रुपए चला दिए हैं।

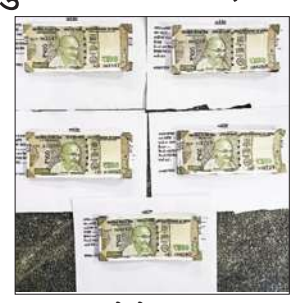

नवविवाहिता पर लगाया अनर्गल आरोप, प्रताड़ित कर मारते थे ताने

ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला कोर्ट में पहुंचा

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

इंदौर की जिला कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है। इसमें नवविवाहिता पर ससुराल पक्ष के लोगों ने कौमार्य भंग होने का आरोप लगाया। मामले में पीड़िता ने कोर्ट की शरण लेकर ससुराल पक्ष पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। आरोप के पहले आरोपी पक्ष की शिकायत पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी की टीम ने गोपनीय जांच की थी। जांच रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद मामला सामने आया। पीड़िता के वकील कृष्णकुमार कुन्हारे ने बताया कि बाणगंगा निवासी पीड़िता संगीता (परिवर्तित नाम) का विवाह 12 दिसम्बर, 2019 को भोपाल में हुआ था। शादी के पहले दिन दंपति ने संबंध नहीं बनाए। इसके बाद से ही पति, सास, ससुर, देवर आए दिन पीड़िता से लड़ाई-झगड़ा, मारपीट कर दहेज में दो लाख रुपए मांगने लगे। पीड़िता के एक बार गर्भवती होने पर सास ने तीन माह का गर्भ मिसकैरेज करा दिया। दूसरी बार पीड़िता ने मृत पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद भी ससुराल वाले मृत बच्चे का डीएनए टेस्ट करने का कहते हुए चरित्र शंका करने लगे। तीसरी बार पीड़िता ने पुत्री को जन्म दिया। इस पर भी ससुराल वाले बेटी को लेकर ताने मारने लगे।

इंस्टाग्राम पर युवती को दोस्ती पड़ी महंगी, चपत

युवक ने साढ़े 48 हजार रुपए हड़पे, धराया

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

युवती को इंस्टाग्राम पर युवक से दोस्ती करना भारी पड़ गया। ठग ने झांसे में लेकर उससे साढ़े 48 हजार रु. ऐंठ लिए। एरोड्रम थाने पर संचालित साइबर हेल्प डेस्क पर फरियादी ज्योति पंवार कालानी नगर ने बताया-इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती लंदन के जार्ज से हुई थी। दोनों वॉट्सअप मैसेज व चेटिंग करते थे। चेटिंग के बीच जार्ज ने कहा कि मैं 6 जनवरी को भारत आकर मुलाकात करूंगा। इसी दौरान युवती को अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले कथित ठग ने झांसे में लेकर जमानत के नाम पर 48 हजार 500 रुपए जमा करा लिए।

किराए पर ली 11 कारें गिरवी रखने वाला गिरफ्तार

जालसाजी: बिना दस्तावेज शौक पूरा करने वालों को बेच देते थे वाहन

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

एग्रीमेंट कर किराए पर ली कारें गिरवी रखकर पैसा कमाने वाले गिरोह का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य दूसरे राज्यों में ऐसे लोगों को यह वाहन थमा देते थे, जो बिना दस्तावेज के शौक पूरा करने वाहन लेते थे। सदस्य से डेढ़ करोड़ रु. की 11 कारें बरामद की हैं। जोन-1 के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक शर्मा ने बताया- गांधीनगर थाने पर ऐसी शिकायतों के विश्लेषण में पता चला 8 फरियादियों से एक युवक फर्म के नाम से कार किराए पर लेकर अन्य राज्यों में ले जाता है। उसने कई महीनों से न तो किराया दिया, न वाहन वापस किया। इसी दौरान सूरत से महू के पेंशनपुरा नि. सचिन सिंह सिसोदिया से 4 कार, अरकान शेख नि. एनटीडीसी रोड, टीटवाला, कल्याण से 2, विशाल मिरकुटे नि. दाहागांव, वाहोली, कल्याण, ठाणे से 2, अविनाश यादव से 2, विकास पंवार नि. रुंदे, कल्याण से एक कार जब्त की।

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.

CIN: U67100TZ2014PTC020363 कार्पोरेट कार्यालय कोहिनूर स्क्वेयर, 4वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, जंक्शन (पश्चिम) मुम्बई 400028 Email: rajesh.jumani@omkaraarc.com/zuber.khan@omkaraarc.com/pratik.rasal@omkaraarc.com
Tel.: 022-69231111 अधिकृत अधिकारी +91 86579 69231/+91 86556 68565.

[परिशिष्ट - IV-A] [नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) का परंतुक देखें]

अचल संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना
सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) आर/डब्लयू 9(1) के प्रावधान के साथ पठित।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को यह सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका कब्जा इंडसइंड बैंक लिमिटेड (IBL) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। इसके अलावा, ओमकारा एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (OARPL) (ओमकारा ट्रस्ट 30/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (असाइनर बैंक) से दिनांक 30.09.2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से नीचे दिए गए खातों के संपूर्ण बकाया ऋणों को असाइनर बैंक से अंतर्निहित सुरक्षा के साथ प्राप्त कर लिया है। तदनुसार, OARPL ने असाइनर बैंक की जगह ले ली है और बकाया राशि वसूलने और सुरक्षा को लागू करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। डओएफएक्ष के प्राधिकृत अधिकारी ने असाइनर से नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया। ओएआरपीएल का प्राधिकृत अधिकारी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों को बेचने का इरादा रखता है और इसलिए सुरक्षित संपत्तियों की खरीद के लिए निविदाएं/बोलियां सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं। संपत्तियों को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(2) और (4) के प्रावधानों के तहत अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेचा जाएगा; नीचे दिखाए गए संबंधित उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता(ओं) से सुरक्षित लेनदार के रूप में ओएआरपीएल को देय संबंधित कॉलम में नीचे दिखाई गई राशि की वसूली के लिए जहां है जैसा है, जो कुछ भी है जैसा है और बिना सहारा के आधार पर। उधारकर्ता(ओं)/गारंटर/बंधक, प्रतिभूतियां, मालिक, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए मांग नोटिस की तारीख, कब्जे की तारीख, आरक्षित मूल्य, बोली वृद्धि राशि, बयाना राशि जमा (ईएमडी), निरीक्षण की तारीख और समय का विवरण निम्नानुसार है:

स. क्र.	ऋणकर्ता (ओं)/ जमानतदार/मार्टगेजर के नाम	सुरक्षित सपत्ति का विवरण	संपत्ति का मालिक	20.01.2025 तक बकाया राशि (रु. में)	मांग पत्र दिनांक	कब्जा दिनांक	आरक्षित मूल्य (रु. में)	बिड वृद्धि राशि (रु. में)	ईएमडी (रु. में)	निरीक्षण दिनांक एवं समय
1.	मेसर्स विनय इंडस्ट्रीज (उधारकर्ता), इसके मालिक श्री सुमित खंडेलवाल, श्री सुमित खंडेलवाल (गारंटर), श्रीमती रचना खंडेलवाल (गारंटर) और श्री मनोहरलाल खंडेलवाल (बंधक/गारंटर) के माध्यम से	प्लॉट संख्या 40 पर स्थित मकान का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 135 वर्ग मीटर है। महेश नगर, अंकपथ मार्ग, उज्जैन, मध्य प्रदेश और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व की ओर या उससे आगे: प्लॉट संख्या 39 पश्चिम की ओर या उससे आगे: प्लॉट संख्या 41 उत्तर की ओर या उससे आगे: प्लॉट संख्या 48 दक्षिण की ओर या उससे आगे: सड़क प्लॉट का क्षेत्रफल: 135 वर्ग मीटर (बिक्री विलेख के अनुसार)	श्री मनोहरलाल खंडेलवाल	रु. 2,30,67,925.34 (दो करोड़ तीस लाख साठ सात हजार नौ सौ पच्चीस रुपये तथा चौंतीस पैसे मात्र)	19.11.2019	19.03.2021 (भौतिक)	Rs. 61,00,000/- (रुपये इकसठ लाख मात्र)	Rs. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)	Rs. 6,10,000/- (रुपये छह लाख दस हजार मात्र)	07.02.2025 (11:30 am to 12:30 pm)

खाता संख्या: 055505010221, लाभार्थी का नाम: ओमकारा पीएस 30/2021-22 ट्रस्ट, बैंक का नाम: आईसीआईसीआई बैंक, शाखा: बांद्रा (ई) मुंबई, आईएफएससी कोड: ICIC0000555

कोई अन्य लंबित मुकदमा: इंडसइंड बैंक के खिलाफ माननीय जिला उपभोक्ता न्यायालय, उज्जैन के समक्ष उपभोक्ता शिकायत संख्या CC/96/2021

भागीदारी का बोली पत्र / केवाईसी दस्तावेज / ईएमडी का प्रमाण जमा करने की अंतिम तिथि और समय: - 18.02.2025 शाम 6:00 बजे तक | ई-नीलामी की तिथि एवं समय:- 20.02.2025 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

नीलामी के नियम और शर्तें: बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता (ओएआरपीएल) http://omkaraarc.com/auction.php या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://www.bankeauction.com पर दिए गए लिंक को देखें।

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) के तहत बिक्री के लिए वैधानिक सूचना

यह नोटिस सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) के तहत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता को कम से कम 30 (तीस) दिनों का एक अनिवार्य नोटिस है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत उन्हें उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि और समय पर ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री आयोजित करने के बारे में सूचित किया गया है।
कृपया ध्यान दें कि ऊपर बताए गए फोन नंबर ओमकारा एआरसी के अधिकृत प्रतिनिधियों के एकमात्र आधिकारिक नंबर हैं। ओमकारा एआरसी किसी भी एजेंट/दलाल को अपनी ओर से अपनी परिसंपत्तियों की बिक्री करने के लिए मान्य/अधिकृत नहीं करता है और इस तरह के लेन-देन में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम पर ऐसा कर रहा है और ओमकारा एआरसी ऐसे किसी भी लेन-देन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

दिनांक : 21.01.2025
स्थान : उज्जैन, म.प्र.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 30/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)

Piramal Finance

पंजीकृत कार्यालय पता: यूनिट नं.601, 6टी मंजिल, पीरामल एमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्या कार्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम) मुम्बई-400070.
CIN:L65910MH1984PLC032639 web side : www.piramalfinance.com
शाखा कार्यालय: धीरज बाग बिल्डिंग ''ए'' ग्राउंड एवं प्रथम मंजिल, एक्सिस बैंक के पास, मोनालिसा बिल्डिंग के सामने, आगरा रोड, हरि निवास सर्कल, नौपाड़ा, ठाणे (पश्चिम)-400602.

मांग पत्र

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत अधिनियम, 2002 को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पढ़ा गया अधोहस्ताक्षरी पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल) का अधिकृत अधिकारी है वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है। निम्नलिखित ऋणी ("उक्त ऋणी"), उन्हें जारी की गई संबंधित मांग नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए, जो नीचे भी दी गई हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर पीसीएचएफएल को भुगतान करने के लिए, नीचे दी गई राशि के साथ-साथ उक्त में दिए गए विवरण के अनुसार अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करें। डिमांड नोटिस (सूचनाएं), नीचे उल्लिखित तारीख (तारीखों) से भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, ऋण समझौते के तहत देय अन्य दस्तावेजों / लेखों के साथ, यदि कोई हो, उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किया गया है। ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित संपत्तियां उक्त ऋणी द्वारा क्रमशः पीसीएचएफएल को गिरवी रखी गई हैं।

स. क.	ऋणी(यों)/गारंटर(रों) का नाम	मांग सूचना एनपीए तिथि के साथ दिनांक और राशि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(इंदौर-विजय नगर शाखा का एलसी नंबर 00800012891) कीर्तिराज बैस (उधारकर्ता) प्रकाश बैस (सह-उधारकर्ता 1) कौशल्या सुरेशचंद्र व्यास (सह-उधारकर्ता 2)	20-12-2024 रु. 9,42,410/- (रु. नौ लाख बयालीस हजार चार सौ दस मात्र) एनपीए (09-12-2024)	मकान नंबर 07 पुराना और नया नंबर 50/7, राम रहीम कॉलोनी, वार्ड नंबर 15, ए.बी. रोड राऊ इंदौर मध्य प्रदेश:- 453331
2.	(इंदौर-विजय नगर शाखा का एलसी नंबर 00800011397) कीर्तिराज बैस (उधारकर्ता) प्रकाश बैस (सह-उधारकर्ता 1) कौशल्या सुरेशचंद्र व्यास (सह-उधारकर्ता 2)	20-12-2024 रु. 14,96,207.17/- (रु. चौदह लाख छियानवे हजार दो सौ सात मात्र तथा सत्रह पैसे) एनपीए (09-12-2024)	मकान नंबर 07 पुराना और नया नंबर 50/7, राम रहीम कॉलोनी, वार्ड नंबर 15, ए.बी. रोड राऊ इंदौर मध्य प्रदेश:- 453331
3.	(जबलपुर शाखा का एलसी नंबर 08200004746) मुकेश सिंह (उधारकर्ता) मीना कुमारी सिंह (सह-उधारकर्ता 1)	20-12-2024 रु. 77,437/- (रु. सतहत्तर हजार चार सौ सैंतीस मात्र) एनपीए (09-12-2024)	वार्ड नंबर 30 खसरा नंबर 339/5/1 पीएच नंबर 24 मौजा महादेवा, तहसील रघुराज नगर जिला सतना सतना सतना मध्य प्रदेश:- 485001
4.	(ग्वालियर शाखा का एलसी नं. 12100001307) देवेन्द्र गुर्जर (उधारकर्ता) ज्योति देवी (सह-उधारकर्ता 1)	20-12-2024 रु. 9,29,015/- (रु. नौ लाख उनतीस हजार पंद्रह मात्र) एनपीए (09-12-2024)	(प्लाट का हिस्सा) मुन. क्रमांक 22, वार्ड 18 कैला देवी नगर, जडेरुआ कलां, मोरार भिंड रोड ग्वालियर मध्य प्रदेश- 474001
5.	(ग्वालियर शाखा का एलसी नंबर 12100001058) राजू सिंह तोमर (उधारकर्ता) रेनू तोमर (सह-उधारकर्ता 1) उदय सिंह (सह-उधारकर्ता 2)	20-12-2024 रु. 6,84,217/- (रु. छह लाख चौरासी हजार दो सौ सत्रह मात्र) एनपीए (09-12-2024)	संपत्ति क्रमांक एस-158, सेक्टर-1 ब्लॉक-बी, आई डेल सिटी ग्राम-शेकपुरा ग्वालियर ग्वालियर मध्य प्रदेश:-474001
6.	(भोपाल शाखा का एलसी नंबर 13400000751) गोपी रमन झा (सह-उधारकर्ता) वीणा कुमारी ठाकुर (सह-उधारकर्ता 1)	20-12-2024 रु. 3,64,194/- (रु. तीन लाख चौसठ हजार एक सौ चौरानबे मात्र) एनपीए (09-12-2024)	प्लॉट नंबर 159, पी एच नंबर 3, शीतल मेगा सिटी, फेस 2, मंडीदीप, गज्जू पिपलिया रोड रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश:- 462046
7.	(भोपाल शाखा का एलसी नंबर 13400003587) गोपी रमन झा (उधारकर्ता) वीणा कुमारी ठाकुर (सह-उधारकर्ता 1)	20-12-2024 रु. 3,44,861/- (रु. तीन लाख चौवालीस हजार आठ सौ इकसठ मात्र) एनपीए (09-12-2024)	प्लॉट नंबर 159, पी एच नंबर 3, शीतल मेगा सिटी, फेस 2, मंडीदीप, गज्जू पिपलिया रोड रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश:- 462046
8.	(भोपाल शाखा का एलसी नंबर 13400003394) गोपी रमन झा (उधारकर्ता) वीणा कुमारी ठाकुर (सह-उधारकर्ता 1)	20-12-2024 रु. 1,27,268/- (रु. एक लाख सत्ताईस हजार दो सौ अड़सठ मात्र) एनपीए (09-12-2024)	प्लॉट नंबर 159, पी एच नंबर 3, शीतल मेगा सिटी, फेस 2, मंडीदीप, गज्जू पिपलिया रोड रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश:- 462046
9.	(भोपाल शाखा का एलसी नंबर 13400003281) गायत्री यादव (उधारकर्ता) लोकेंद्र यादव (सह-उधारकर्ता 1)	20-12-2024 रु. 11,30,739/- (रु. ग्यारह लाख तीस हजार सात सौ उनतालीस मात्र) एनपीए (09-12-2024)	प्लॉट नंबर 624, ड्रीम सिटी कॉलोनी विलेज हथौड़ा, तहसील गंज बासौदा जिला विदिशा गंज बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश:- 464221
10.	(इंदौर-विजय नगर शाखा का एलसी नंबर 20900042440) सुरेंद्र सिंह परमार (उधारकर्ता) ज्योति कुँवर (सह-उधारकर्ता 1)	20-12-2024 रु. 6,05,750/- (रु. छह लाख पांच हजार सात सौ पचास मात्र) एनपीए (09-12-2024)	प्लॉट नंबर 201, शिवधाम कॉलोनी, राजगढ़, सर्वे नंबर 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 55, 56, 57, 59 तह-सारंगपुर जिला- राजगढ़ रायगढ़ छत्तीसगढ़:- 465687
11.	(इंदौर- विजय नगर शाखा का एलसी क्रमांक 00800007613) रुक्मणी बाई सुरेन्द्र पंचोले (उधारकर्ता) सुरेन्द्र शंकर लाल पंचोले (सह-उधारकर्ता 1)	20-12-2024 रु. 2,80,248/- (रु. दो लाख अस्सी हजार दो सौ अड़तालीस मात्र) एनपीए (13-11-2024)	प्लॉट नंबर 62 (दक्षिण भाग), वार्ड नंबर 07, विशाल नगर कॉलोनी, माता चौक, जसवाड़ी रोड, खंडवा पूर्व निमाड़ मध्य प्रदेश:- 450001
12.	(इंदौर- विजय नगर शाखा का एलसी क्रमांक 00800012036) महेश परिहार (उधारकर्ता) आरती परिहार (सह-उधारकर्ता 1)	20-12-2024 रु. 1,12,60,807/- (एक करोड़ बारह लाख साठ हजार आठ सौ सात रुपए मात्र) एनपीए (30-09-2020)	प्लॉट नंबर 14, सच्चिदानंद नगर हीरो शोरूम के पास इंदौर मध्य प्रदेश- 452002
13.	(इंदौर शाखा का एलसी क्रमांक M0138347) अंकित देवरे (उधारकर्ता) वंदना देवरे (सह-उधारकर्ता 1)	20-12-2024 रुपए 7,10,948.39/- (सात लाख दस हजार नौ सौ अड़तालीस रुपए मात्र और उनतालीस पैसे) एनपीए (04-12-2024)	प्लॉट नंबर 03 पैकी साउथ साइड भाग, सर्वे नंबर 732/4 कुबेर नगर कॉलोनी, जयश्री नगर कॉलोनी के पास, मेंडकी ओवर ब्रिज के पास, मेंडकी चक, तहसील और जिला देवास मध्य प्रदेश-455001
14.	(देवास शाखा का एलसी क्रमांक BLSA00025A29) अंकित देवरे (उधारकर्ता) वंदना देवरे (सह-उधारकर्ता 1)	20-12-2024 रुपए 5,33,626.8/- (पांच लाख तैंतीस हजार छह सौ छब्बीस रुपए मात्र और अस्सी पैसे) एनपीए (04-12-2024)	प्लॉट नंबर 03 पैकी साउथ साइड भाग, सर्वे नंबर 732/4, कुबेर नगर, जयश्री नगर कॉलोनी के पास, मेंडकी ओवर ब्रिज के पास, म